

2020/00097

फर्द अहकाम


कलकत्ता वनाम कुमाउसहाय

यायालय

सहायक कलक्टर शाहपुरा

नंख्या

62/2020 दबा 53, 188 B-T-A-C

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3-11-20	<p>बनील उमानपत्र उप-। अतः दबा नरबाहा रिपोर्ट के अ उषा अर्द्धम डिग्री किया जाता है। फसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फसल इउमार कोकर न ग्वर से करत है।</p> <p> सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी

— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

दावा संख्या

— 62/2020

उनवान

- 1 कल्याण सहाय पुत्र सुवालाल
- 2 कोयली देवी पत्नी मंगाराम
- 3 ग्यारसीलाल पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
- 4 गिरधारी पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
- 5 गिरधारी पुत्र बदी
- 6 धौली पत्नी कैलाश
- 7 नरसीराम पुत्र मांगू
- 8 प्रभात पुत्र बदी
- 9 बदी पुत्र झुथा
- 10 बशी पुत्र बदी
- 11 बशीधर पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
- 12 विदानी देवी पत्नी सावंतराम
- 13 मदन पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
- 14 मन्नालाल पुत्र सुवालाल
- 15 मुरलीधर पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
- 16 राजनारायण पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
- 17 रामकुमार पुत्र मांगू
- 18 रामेश्वर पुत्र मांगू
- 19 सुमन देवी पत्नी राजू उर्फ राजनारायण
- 20 सुमित्रा देवी पत्नी ग्यारसीलाल
- 21 सरदारमल पुत्र मांगू
- 22 सुशीला पत्नी भगवानसहाय
- 23 साधत पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
- 24 सीताराम पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
- 25 सीताराम पुत्र भगवानसहाय

समस्त—व्यस्क, समस्त जाति—अहीर (यादव), निवासी—ग्राम शेरपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र सेडुराम
2. कमली देवी पुत्री सेडुराम
3. कैलाशचन्द पुत्र सेडुराम
4. गोठी देवी पुत्री सेडुराम
5. नाची देवी पुत्री सेडुराम
6. फूली देवी पत्नी सेडुराम
7. मैरू पुत्र मंगला
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगला
9. सरदारमल पुत्र मंगला
10. प्रहलाद पुत्र बशीधर
11. मोहन पुत्र मंगला

समस्त—व्यस्क, समस्त जाति—अहीर (यादव), निवासी—ग्राम शेरपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)



प्रतिवादी

दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-53 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक : 3-11-2020

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता संख्या 85 के हाल खसरा नं0 2512 रकबा 0.18, 2522/0.02 है0 कुल किता-2 कुल रकबा 0.20 है0 व हाल खाता संख्या 117 के हाल खसरा नं0

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज0

2523/0.73 कुल किता 1 कुल रकबा 0.73 है0 व हाल खाता संख्या 118 के हाल खसरा नं0 2524/0.60 कुल किता 1 कुल रकबा 0.60 है0 व हाल खाता सं0 158 के हाल खसरा नं0 2506/0.29, 2514/0.83, 2516/0.15, 2517/0.28, 2518/0.75, 2519/0.22 कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 है0 व हाल खाता सं0 159 के हाल खसरा नं0 2521/0.43 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 है0 व हाल खाता सं0 160 के हाल खसरा नं0 2525/0.40 2526/0.08 कुला किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 व हाल खाता सं0 161 के हाल खसरा नं0 2520/0.20 कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 है0 व हाल खाता सं0 162 के हाल खसरा नं0 2531/2724/4.58 कुल किता रकबा 4.58 है0 व हाल खाता सं0 163 के हाल खसरा नं0 2507/0.75 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.75 है0 व हाल खाता सं0 164 के हाल खसरा नं0 2433/2598/0.19 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 है0 व हाल खाता सं0 165 के हाल खसरा नं0 2480/2.17 कुल किता 1 कुल रकबा 2.17 है0 व हाल खाता सं0 166 के हाल खसरा नं0 2327/2680/0.75, 2331/2681/0.34, 2420/0.41, 2421/0.20, 2422/0.36, 2423/0.35, 2424/0.04, 2425/0.20, 2426/0.49, 2427/0.27, 2428/0.19, 2429/0.07, 2430/0.32, 2431/0.37, 2476/1.31, 2477/0.10, 2478/0.06, 2481/1.02, 2483/0.23, 2484/0.26, 2485/0.35, 2486/0.63, 2487/0.16, 2489/2.72, 2490/0.42, 2491/0.05, 2492/1.49, 2493/0.42, 2494/0.45, 2495/0.87, 2496/0.04, 2498/0.25, 2499/0.43, 2500/0.13, 2501/0.42, 2504/0.45, 2508/1.46, 2511/2723/1.14, 2513/0.72, 2515/0.10, 2529/0.06, 2530/0.06, कुल किता 42 कुल रकबा 20.16 है0 वाकै ग्राम शेरपुरा पटवार हल्का खोरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार है। उक्त आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मनबट बंटवारा के आधार पर व वाद पत्र के साथ संलग्न मनबट बंटवारा सूची व नजरी नक्शे के आधार पर काबिज रहकर काशत रहकर काशत करते चले आ रहे है। तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काशत है। उक्त आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु अब प्रतिवादीगण सं0-1 लगायत 11 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होंने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वे वादीगण को उनके कब्जे व काशत व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग गये है एवं मनबट मानने से इनकार हो गये है और आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा कराये ही वाद पत्र के जिमन नं0-1 में वर्णित आराजी के विशिष्ट भू-भाग में निर्माण कार्य व सीमा विवाद करने पर आमादा है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आज से सप्ताह भर पूर्व प्रतिवादीगण सं0-1 लगायत 11 आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग व सीमा पर जबरन निर्माण कार्य करने हेतु अपने साथ निर्माण सामग्री लेकर आये तथा निर्माण कार्य करने लगे तो वादीगण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0-1 लगायत 11 को वादग्रस्त आराजी का कानूनी बंटवारा कराने को कहा तो उन्होंने आराजी का कानूनी बंटवारा के आधार पर कानूनी बंटवारा करवाने के लिये कहा तो उन्होंने आराजी का कानूनी बंटवारा कराने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण सं0-1 लगायत 11 ने वादीगण को एलानियां धमकी दी है कि वे वाद पत्र के जिमन नं0-1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी के विशिष्ट भू-भाग व सीमा पर पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेंगे तथा आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग का बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर उसके पक्ष में बिदामी देवी के विशिष्ट भू-भाग का अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेंगे तथा पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेंगे तथा आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवाकर रहेंगे। प्रतिवादीगण सं0-1 लगायत 11 अपने अवैध मन्सूबे में सफल हो गये और उन्होंने वाद पत्र के जिमन नं0-1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर पुख्ता निर्माण कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू-भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति का आराजी के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करवा देगे तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानी होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक रूप में मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में निवेदन किया कि उक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण सं0-1 लगायत 11 के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के मुताबिक खातेदारानों के मध्य बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अम्ल दरामद कराये जावे प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि वे वादीगण के बंटवारे में आई भूमि के कब्जे काशत एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अडचन पैदा नहीं करें।



(Signature)
 सहायक कलेक्टर
 शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी सं. 7,8,9,11 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वकीलवादी व वकील प्रतिवादी सं. 7,8,9,11 ने उपस्थित होकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 6. 10 की ओर से कोई उप. नहीं। इनके विरुद्ध को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 20/01/2020 को प्रस्तुत वाद में वकील उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन करने पर प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया गया।

तहसीलदार शाहपुरा से दिनांक 19.10.2020 को बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खाता संख्या 85 के हाल खसरा नं० 2512 रकबा 0.18, 2522/0.02 है० कुल किता-2 कुल रकबा 0.20 है० व हाल खाता संख्या 117 के हाल खसरा नं० 2523/0.73 कुल किता 1 कुल रकबा 0.73 है० व हाल खाता संख्या 118 के हाल खसरा नं० 2524/0.60 कुल किता 1 कुल रकबा 0.60 है० व हाल खाता सं० 158 के हाल खसरा नं० 2506/0.29, 2514/0.83, 2516/0.15, 2517/0.28, 2518/0.75, 2519/0.22 कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 है० व हाल खाता सं० 159 के हाल खसरा नं० 2521/0.43 कुल किता 1 कुल रकबा 0.43 है० व हाल खाता सं० 160 के हाल खसरा नं० 2525/0.40 2526/0.08 कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है० व हाल खाता सं० 161 के हाल खसरा नं० 2520/0.20 कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 है० व हाल खाता सं० 162 के हाल खसरा नं० 2531/2724/4.58 कुल किता रकबा 4.58 है० व हाल खाता सं० 163 के हाल खसरा नं० 2507/0.75 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.75 है० व हाल खाता सं० 164 के हाल खसरा नं० 2433/2598/0.19 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 है० व हाल खाता सं० 165 के हाल खसरा नं० 2480/2.17 कुल किता 1 कुल रकबा 2.17 है० व हाल खाता सं० 166 के हाल खसरा नं० 2327/2680/0.75, 2331/2681/0.34, 2420/0.41, 2421/0.20, 2422/0.36, 2423/0.35, 2424/0.04, 2425/0.20, 2426/0.49, 2427/0.27, 2428/0.19, 2429/0.07, 2430/0.32, 2431/0.37, 2476/1.31, 2477/0.10, 2478/0.06, 2481/1.02, 2483/0.23, 2484/0.26, 2485/0.35, 2486/0.63, 2487/0.16, 2489/2.72, 2490/0.42, 2491/0.05, 2492/1.49, 2493/0.42, 2494/0.45, 2495/0.87, 2496/0.04, 2498/0.25, 2499/0.43, 2500/0.13, 2501/0.42, 2504/0.45, 2508/1.46, 2511/2723/1.14, 2513/0.72, 2515/0.10, 2529/0.06, 2530/0.06, कुल किता 42 कुल रकबा 20.16 है० वार्क ग्राम शेरपुरा पटवार हल्का खोरी तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक-पृथक खातेदार काश्लकार घोषित किए जाते हैं-

1. आ.ख.नं. 2431 रकबा 0.37, 2429 रकबा 0.07, 2428 रकबा 0.19, 2430 रकबा 0.32, 2427 रकबा 0.27, 2426 रकबा 0.49, 2425 रकबा 0.20, 2424 रकबा 0.04, 2423 रकबा 0.35, 2422 रकबा 0.36 2421 रकबा 0.20, 2485 रकबा 0.35, 2484 रकबा 0.26, 2483 रकबा 0.23, 2486/1 रकबा 0.23, 2487 रकबा 0.16, 2420 रकबा 0.41, 2489/2 रकबा 0.72, कुल किता 18 रकबा 5.22 है० भूमि के बंटवारे में से वादी सं०-12 का हिस्सा 39/522 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-20 का हिस्सा 39/522 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-19 का हिस्सा 39/522 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-13 का हिस्सा 111/522 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-15 का हिस्सा 36/522 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-3 का हिस्सा 36/522 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-23 का हिस्सा 111/522 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-16 का हिस्सा 111/522 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी के बंटवारे में रहेगा।
2. आ.ख.नं. 2480/1 रकबा 0.50 है० वादी सं०-23 का हिस्सा 1/3 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-3 का हिस्सा 1/3 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-16 का हिस्सा 1/3 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी के बंटवारे में रहेगा।
3. आ.ख.नं. 2480/2 रकबा 0.40 है० भूमि वादी सं०-25 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी के हिस्से में रहेगी।
4. आ.ख.नं. 2486/2 रकबा 0.40 है०, 2480/3 रकबा 1.27, 2327/2680 रकबा 0.75, 2331/2681 रकबा 0.34 कुल किता 4 रकबा 2.76 है० भूमि वादी सं०-21, 17,7,18, का हिस्सा 4/5 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी व वादी सं०-1,14 का हिस्सा 1/5 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी के बंटवारे में रहेगा।
5. आ.ख.नं. 2489/1 रकबा 2.00, 2476 रकबा 1.31, 2477 रकबा 0.10 2478 रकबा 0.06 2481 रकबा 1.02 कुल किता 5 रकबा 4.49 है० भूमि वादी सं०-9 का हिस्सा 1/2 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-8,5,10, का हिस्सा 1/2 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी के रहेगा।
6. आ.ख.नं. 2514 रकबा 0.83, 2519 रकबा 0.22, 2520 रकबा 0.20, 2518/0.75, 2524/0.60, 2513/0.72, 2512/0.18, 2521/0.43, 2522/0.02, 2523/0.73, 2531/2724/2 रकबा 0.18 कुल किता 11



सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

रकबा 4.86 है० भूमि वादी सं०-22 का हिस्सा 1/3 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं०-6 का हिस्सा 1/3 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं०-2 का हिस्सा 1/3 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी के बंटवारे में रहेगा।

7. आ.ख.नं. 2511/2783 रकबा 1.14, 2508/1.46 कुल किता 2 रकबा 2.60 है० भूमि वादी सं०-13,15,3,23,16 का हिस्सा 1/3 व वादी सं० 8,5,10, हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं० 7,8,9,11 का हिस्सा 1/3 के बंटवारे में रहेगी।

8. आ.ख.नं. 2516 रकबा 0.15, 2493 रकबा 0.42, 2494/0.45, 2492/1.49, 2490/0.42,2491/0.05, 2498/0.25, 2496/0.04, 2495/0.87, 2506/0.29, 2504/0.45, 2501/0.42, 2515/0.10, 2499/0.43, 2500/0.13 2530/0.06, 2517/0.28, 2526/0.08, 2525/0.40, 2507/0.75, 2529/0.06 कुल किता 21 रकबा 7.59 है० भूमि वादी सं०-21,17,7,18, का हिस्सा 209/759 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी व वादी सं०- 1,14, हिस्सा 52/759 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं०- 4,11,24, हिस्सा 301/759 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, प्रतिवादी सं० 6,1,3,4,2,5 हिस्सा 197/759 के बंटवारे में रहेगी।

9. आ.ख.नं. 2433/2598 रकबा 0.19, है० भूमि प्रतिवादी सं०-10, का हिस्सा 1/2 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी व वादी सं० 25, हिस्सा 1/2 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी के बंटवारे में रहेगी।

10. आ.ख.नं. 2531/2724/1 रकबा 4.40, है० भूमि वादी सं०-21,17,7,18, का हिस्सा 76/440 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी व वादी सं० 1,14 हिस्सा 19/440 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं०-4,11,24 का हिस्सा 17/440 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी व प्रतिवादी सं० 6,1,3,4,2,5 हिस्सा 17/440 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-16,23 हिस्सा 263/660 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-3 हिस्सा 35/330 रहीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं०-15 हिस्सा 6/110 वादी सं० 13 हिस्सा 65/440 के बंटवारे में रहेगी।

कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक-दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 3-11-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

वार संख्या

62/2020
उपवात

1. कल्याण सहाय पुत्र सुवालाल
2. कौशली देवी पत्नी गगाराम
3. ग्यारसीलाल पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
4. गिरधारी पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
5. गिरधारी पुत्र बदी
6. धौली पत्नी कैलाश
7. नरसीराम पुत्र मांगू
8. प्रभात पुत्र बदी
9. बदी पुत्र झुपा
10. बंशी पुत्र बदी
11. बंशीधर पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
12. बिदानी देवी पत्नी सावंतराम
13. मदन पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
14. मन्नालाल पुत्र सुवालाल
15. मुरलीधर पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
16. राजनारायण पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
17. रामकुमार पुत्र मांगू
18. रामेश्वर पुत्र मांगू
19. सुमन देवी पत्नी राजू उर्फ राजनारायण
20. सुमित्रा देवी पत्नी ग्यारसीलाल
21. सरदारमल पुत्र मांगू
22. सुरीला पत्नी भगवानसहाय
23. सावंत पुत्र भागीरथ उर्फ भागला
24. सीताराम पुत्र प्रभात उर्फ प्रभातीलाल
25. सीताराम पुत्र भगवानसहाय

समस्त-व्यक्त, समस्त जाति-अहीर (यादव), निवासी-ग्राम शेरपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र सेडुराम
2. कमली देवी पुत्री सेडुराम
3. कैलाशचन्द्र पुत्र सेडुराम
4. गोठी देवी पुत्री सेडुराम
5. नाथी देवी पुत्री सेडुराम
6. फूजी देवी पत्नी सेडुराम
7. भैरव पुत्र मंगला
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगला
9. सरदारमल पुत्र मंगला
10. प्रहलाद पुत्र बंशीधर
11. मोहन पुत्र मंगला



समस्त-व्यक्त, समस्त जाति-अहीर (यादव), निवासी-ग्राम शेरपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा आर0टी0एक्ट 1955

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खाता संख्या 85 के हाल खसरा नं0 2512 रकबा 0.18, 2522/0.02 है0 कुल किता-2 कुल रकबा 0.20 है0 व हाल खाता संख्या 117 के हाल खसरा नं0 2523/0.73 कुल किता 1 कुल रकबा 0.73 है0 व हाल खाता संख्या 118 के हाल खसरा नं0 2524/0.60 कुल किता 1 कुल रकबा 0.60 है0 व हाल खाता सं0 158 के हाल खसरा नं0 2506/0.29, 2514/0.83, 2516/0.15, 2517/0.28, 2518/0.75, 2519/0.22 कुल किता 6 कुल रकबा 2.52 है0 व हाल खाता सं0 159 के हाल खसरा नं0 2521/0.43

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

10. आ.ख.नं. 2531/2724/1 रकबा 4.40, है 0 भूमि वादी सं0-21,17,7,18, का हिस्सा 76/440 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी व वादी सं0 1,14 हिस्सा 19/440 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी, वादी सं0-4,11,24 का हिस्सा 17/440 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी व प्रतिवादी सं0 6,1,3,4,2,5 हिस्सा 17/440 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं0-16,23 हिस्सा 263/660 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं0-3 हिस्सा 35/330 रहीन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक खोरी वादी सं0-15 हिस्सा 6/110 वादी सं0 13 हिस्सा 65/440 के बंटवारे में रहेगी।

कुर्रंजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। उभय पक्षकारान को रथायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक-दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

निर्णय आज तारीख 3-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।



(मममोहन)

उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तागील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तागील		जोड़	
जोड़			